न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

विविध राजस्व प्रकरण संख्या	तारीख रजू	तारीख आदेश
16/2025	7.3.2025	~~23.12.2025~~ 02-1-26

मनोज कुमार पुत्र पतराम, जाति मीना, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सत्य प्रकाश पुत्र मथुरा लाल, जाति महाजन, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द,
2. बृजलाल पुत्र बगुला (मृतक)

2/1. जोन सिंह पुत्र बृजलाल,

2/2. हुकमी पुत्र बृजलाल,

2/3. विनोद पुत्र बृजलाल एवं

2/4. बनी पुत्र बृजलाल

3. राजू पुत्र मूल्या,जाति मीना, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द,
4. नगर पालिका बामनवास जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बामनवास,
5. तहसीलदार बामनवास

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत दिलवाये जाने रास्ता

आदेश

दिनांकः ~~23.12.2025~~ 02-1-26

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि यह कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 4079 रकवा 0.16 हेक्टेयर ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द (बी) में स्थित है । प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता हाल भूमि खसरा नम्बर 4055 रकवा 0.21 हेक्टेयर, 4069 रकवा 0.1[illegible] हेक्टेयर, 4070 रकवा 0.0[illegible] हेक्टेयर, खसरा नम्बर 4078 रकवा 0.07 हेक्टेयर में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:02 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग के स्थान पर) होकर रहा है । प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित पीले रंग वाले स्थान पर होकर 25 फिट चौड़ा रास्ता खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 में से दिलवाया जावे, जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 4079 रकबा 0.07 हेक्टेयर में जाकर मिलता है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 4079 में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । उक्त रास्ता ही वर्तमान में प्रार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 4079 रकबा 0.16 हेक्टेयर में आने जाने का है, जो चालू हालत में है । प्रार्थी भूमि खसरा 4055, 4069, 4070 व 4078 में होकर निकाले जाने वाले रास्ते 25 फिट भूमि की डी.एल.सी. (जिला स्तरीय कमेटी) कीमत के अनुसार कीमत अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है तथा अदालत में जरिये ड्राफ्ट जमा कराने को तैयार है । अनुतोष में निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 स्थित ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द (बी) में होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित स्थान पर होकर रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करें ।

अप्रार्थीगण को उक्त आशय के प्रार्थना पत्र के नोटिसेज प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए दिनांक 20.6.2025 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व तहसीलदार बामनवास से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 9.7.20[illegible] को [illegible]रित की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बामनवास की ओर से मौका रिपोर्ट पेश होने पर बहस एक पक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । इस प्रकरण

उप खण्ड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

में विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि कि क्या प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजियात् खसरा नम्बर 4079 रकवा 0.07 हेक्टेयर में होकर अपने खेत खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 तक 25 फिट चौड़ा रास्ता निकलवा पाने का अधिकारी है और यदि हॉ तो किस कदर ? जिस बिन्दु पर हमारा विनम्र मत इस प्रकार है:–

भारतीय विधि में यह स्पष्ट प्रावधान हैं कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद पेश किया जाता है और यदि दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति द्वारा पेश किए गए प्रकरण का कोई खण्डन नहीं करता है, चाहे ऐसा खण्डन अनुपस्थिति के माध्यम से ही क्यों न हो, यह माना जावेगा कि द्वितीय व्यक्ति ने प्रथम व्यक्ति द्वारा पेश किए गए प्रकरण के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, ऐसी स्थिति में वाद या प्रकरण पेश करने वाले व्यक्ति को अपना प्रकरण प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऐसा प्रकरण स्वमेव प्रमाणित है । यदि विधि की इस मंशा को देखा जाये तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा पेश किए गए प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार कर लिया है, ऐसी उपधारणा की जाती है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र एक पक्षीय तौर पर स्वीकार किया जा सकता है ।

अव यदि विधि के इस प्रावधान से भी हटकर इस तथ्य पर विचार करें कि क्या प्रार्थी अपना मामला साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित कराने में सफल रहा हे तो इस सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किए जाने पर स्थिति इस प्रकार सामने आती है कि न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार [illegible] द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर न्यायालय में पेश की गई है, जिसका अवलोकन किया जाये तो मौका रिपोर्ट तैयार करने वाले हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 4079 रकवा 0.07 हेक्टेयर की मौजूदगी बताई

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

है तथा आगे भी खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 की मौजूदगी होना बताते हुए कथन किया है कि प्रार्थी का अपने खेत खसरा नम्बर 4079 रकवा 0.07 हेक्टेयर में आने जाने के लिए यही रास्ता सर्वाधिक नजदीक है और इसी रास्ते से होकर प्रार्थी का आवागमन है, वर्तमान में खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 में होकर रास्ता मौजूद है । हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 4055 रकवा 0.21 हेक्टेयर सत्य प्रकाश पुत्र मथुरा लाल महाजन का है, खसरा नम्बर 4069 रकवा 0.12 हेक्टेयर बृजलाल पुत्र बगुला का है, खसरा नम्बर 4070 रकवा 0.07 हेक्टेयर राजू पुत्र मूल्या का है तथा खसरा नम्बर 4078 रकवा 0.07 हेक्टेयर की खातेदारी नगर पालिका बामनवास की खातेदारी में है । खसरा नम्बर 6602 गैरमुमकिन रास्ते में होकर मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है । उक्त आराजियात् में मौजूद मार्ग को प्रार्थी के आवागमन में काम आना बताते हुए रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा आगे कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 4055 में से 72 मीटर लम्बी व 8 मीटर चोड़ी भूमि, कुल 576 वर्ग मीटर, आराजी खसरा नम्बर 4069 में 32 मीटर लम्बी व 8 मीटर चौड़ी, कुल 256 वर्ग मीटर, आराजी खसरा नम्बर 4070 में 48 मीटर लम्बी व 8 मीटर चौड़ी, कुल 384 वर्ग मीटर व आराजी खसरा नम्बर 4078 में 16 मीटर लम्बी व 8 मीटर चौड़ी, कुल 128 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही है । इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बामनवास द्वारा अपना प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है । नगर पालिका बामनवास द्वारा भी न्यायालय के आदेश पर इस संबंध में अपना [illegible] प्रेषित किया गया है तथा नगर पालिका द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में यह [illegible] किया है कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता अस्तित्व [illegible] नहीं है तथा उसे अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी की भूमि में पहुँचने का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 में होकर ही उपलब्ध है । यदि प्रार्थी डी.एल.सी. रेट के अनुसार राशि विधिक प्रकिया के अनुसार जमा करा देता है तो नगर पालिका को रास्ता दिए जाने में कोई आपत्ती नहीं है ।

उल्लेखनीय होगा कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किसी भी हद तक अप्रार्थीगण की ओर से कोई विरोध या प्रत्युत्तर पेश नहीं किया गया है, इसलिए नगर पालिका बामनवास तथा तहसीलदार बामनवास के प्रतिवेदनों एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नज़र नहीं आता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अखण्डित है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता । संपूर्ण पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण एक पक्षीय स्वीकार किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी डी.एल.सी. दर के अनुसार, आराजी खसरा नम्बर 4055, 4069, 4070 व 4078 में होकर प्रयुक्त होने वाले रास्ते की भूमि की राशि विधि अनुसार उप पंजीयक कार्यालय, बामनवास में जमा करा दे तो प्रार्थी खसरा नम्बर 4055, 4069 व 4070 में होकर अ[illegible]ी खसरा नम्बर 4079 रकवा 0.07 हेक्टेयर में आने जाने का अधिकारी हो[illegible] तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जाता है कि वह तहसीलदार, बामनव[illegible] द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:02 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांकित 8.7.2025 (पत्र संख्या 235) के अनुसार खसरा नम्बर 4055, 4069, व 4070 में होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 4079 रकवा 0.07 हेक्टेयर तक जा रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी व नक्शा ट्रैस में रास्ते की भूमि होना दर्ज कर रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करे तथा रास्ते बाबत ली गई जमीन का डी. एल.सी. रेट से नियमानुसार मुआवजा प्रार्थी से जमा कराया जावे, यह राशि खातेदार सत्य प्रकाश आदि अप्रार्थीगण को नियमानुसार वितरित की जायेगी एवं खसरा नम्बर 4078 में होकर रास्ते बाबत अधिशाषी अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

02/01/26

उपखण्ड कलक्टर
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 02-1-26 ~~23.12.2025~~ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड कलक्टर
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:45:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner